युवती की हत्या जांच के दौरान पुलिस को मिला दूसरे कत्ल का सुराग

छत्तीसगढ़ संवाददाता

बिलासपुर, 25 जनवरी। देवगांव निवासी युवती के अंधे कत्ल की जांच कर रही पुलिस को युवती का हत्यारा तो नहीं मिला। लेकिन जांच टीम के हाथ लगे लूट के दो आरोपियों ने दूसरे कत्ल का खुलासा जरूर कर दिया। आरोपियों ने पूछताछ में एक व्यक्ति की हत्या उसकी पत्नी के साथ मिलकर करने और पति की लाश को घर के पास ही दफन करने की बात स्वीकार की है। पुलिस मामले में एसडीएम की अगुवाई में खुदाई कर लाश बरामद करने में मौके पर खुदाई करा रही है।

मिली जानकारी के अनुसार 16 जनवरी की रात देवगांव निवासी युवती की खुडूभाठा नाले के पास दुष्कर्म के बाद हत्या हुई थी। इस मामले की जांच कर रही पुलिस को युवती के हत्या का सुराग तो नहीं मिला। लेकिन संदेह के आधार पर भदौरा में लूट के मामले में पकड़े गये दो संदेहियों ने दूसरी ही हत्या का राज कबूल कर लिया।

मिली जानकारी के अनुसार भदौरा में सीपत क्षेत्र निवासी मथुरा प्रसाद सूर्यवंशी और उसका छोटा भाई गोकुल प्रसाद सूर्यवंशी भदौरा से अपने घर जा रहे थे उसी दौरान रात में दो लोगों ने दोनों भाई को रोक कर उनके साथ मारपीट करते हुए लूटपाट की। घटना 19 जनवरी की है। इस मामले में पुलिस के हाथ दो आरोपी लगे जिनमें राजा सिंह ठाकुर और गनेश सिंह ठाकुर थे।

दोनों से पुलिस ने पूछताछ शूरू की तो दोनों पुलिस को गुमराह करते रहे और बाद में बताया कि उन्होंने ही लूटपाट की है। दोनो के वार करने का तरीका और देवगांव निवासी युवती के शरीर में मिले चोट के निशान पुलिस को एक सामन लगे, इस पर दोनों से युवती के हत्या के संबंध में भी पूछताछ कर दी। दोनों काफी देर तक इस हत्या कांड से खुद को अलग बताते रहे और आखिर कार दोनों में से एक राजा ठाकुर टूट गया और बताया कि उसने देवगांव निवासी युवती की हत्या नहीं की है लेकिन उसने अपने साथी बनराकर के साथ मिलकर भदौरा निवासी एक व्यक्ति की हत्या उस व्यक्ति की पत्नी के कहने पर की है। लाश को उसी के मकान में दफन करने की बात भी स्वीकार कर ली है।

पूछताछ में पुलिस को एक ऐसी हत्या का पता लगा जिसके बारे में भदौरा गांव के किसी भी व्यक्ति को पता नहीं था। पूछताछ में राजा सिंह ठाकुर ने बताया कि वह अपने साथी बनराकर के साथ मिलकर भदौरा निवासी पतराम पांडू पिता सतेल पांडू की हत्या उसकी पत्नी सुनैना पांडू के साथ मिलकर 17 अगस्त 2016 को की है और शव को उसी के घर में दफन कर दिया है। एक व्यक्ति के हत्या का अपराध कबूल करने के बाद पुलिस के भी होश उड़ गये।

पुलिस ने राजा सिंह ठाकुर के बयान के बाद एसडीएम से शव बरामदगी के लिए खुदाई की अनुमति मांगी थी। आज पुलिस को अनुमति मिली। थाना प्रभारी लालचंद मोहले अपने स्टाफ के साथ भदौरा पहुंच गए हैं। उनके साथ एसडीएम केएस पैकरा और तहसीलदार एनके गवेल भी भदौरा पहुंचे और और राजा ठाकुर के निशानदेही पर पतराम पांडू के घर में उस स्थान की खुदाई करने की पुलिस तैयारी कर रही है। जहां सुनैना, राजा सिंह ठाकुर और बनराकर ने पतराम की हत्या कर शव को दफन किया है। एडिशनल एसपी ग्रामीण अर्चना झा ने बताया कि लूट के आरोपियों से जो सुराग हाथ लगा है उसकी तसदीक कराई जा रही है। साक्ष्य एकत्र करने के लिए साक्ष्य मिलने के बाद ही वह इस मामले में कुछ कह सकती है जांच जारी होने का हवाला दिया। एसडीएम केएस पैकरा ने कहा कि शव के बरामद होने के बाद ही वह कुछ कह पायेंगे। अभी खुदाई की जा रही है।

दागी अफसरों के खिलाफ जांच की समय सीमा तय

छत्तीसगढ़ संवाददाता

बिलासपुर, 25 जनवरी। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक गुप्ता की युगलपीठ ने राज्य के 12 आईएएस, 3 आईपीएस और 14 आईएफएस अधिकारियों के खिलाफ चल रही जांच की कार्रवाई पूरी करने लिए समय निर्धारित कर दी है।

हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक गुप्ता की युगलपीठ ने प्रदेश के 29 आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के खिलाफ लापरवाही और भ्रष्टाचार के खिलाफ लगी याचिका पर सुनवाई करते हुए जांच की कार्रवाई के लिए समय निर्धारित कर दी है। मालूम हो चिरमिरी में रहने वाले राजकुमार मिश्रा ने हाईकोर्ट मेंजनहित याचिका प्रस्तुत कर कहा कि प्रदेश के 29 बड़े अधिकारियों के खिलाफ लापरवाही, भ्रष्टाचार और गड़बड़ी के अलग-अलग मामलों में जांच एजेंसियों ने अपराध दर्ज किया है।

इनके खिलाफ वर्षों से विभागीय जांच लंबित है। जांच की कार्रवाई जानबूझकर लंबित रखी जाती है, ताकि वे अपने पद पर बने रहे और रिटायर हो जाए। हाईकोर्ट ने पहले ही इस मामले में नोटिस जारी कर अधिकारियों के नाम और स्टेटस मांगा था। नवंबर 2016 में प्रदेश के मुख्य सचिव ने अधिकारियों के नाम हाईकोर्टको दीथी। इसके बाद हाईकोर्ट ने प्रत्येक अधिकारियों की जांच पर टिप्पणी करते हुए जांच पूरी करने की तिथि निर्धारित की है।

जांच के लिए समय

हाईकोर्ट ने आईएएस पीराघवन 30 अप्रैल 2017, आईएएस एसएस मूर्ति 28 फरवरी 2017, टी राधाकृष्णन कोर्ट ने टिप्पणी की है कि जांच अधिकारी इंदिरा मिश्रा के नाम पर टी राधाकृष्णन का आपत्ति होगी तो

हाईकोर्ट का फैसला

उनके मामलों की जांच रिटायर्ड जज जस्टिस धीरेन्द्र मिश्रा करेगें। जे मिंज 31 मार्च 2017, जीएस धनंजय का मामला कैट में विचाराधीन होने के कारण कोर्ट ने कोई डायरेक्शन नही दिया है। जबकि एनएस मंडावी जीआर चुरेन्द्र और वीके ध्रुव की इंक्वायरी 31 दिसम्बर 2017 तक पूरी करने को कहा गया है। आलोक अवस्थी की इंक्वायरी पूरी होने की जानकारी देने पर फरवरी 2017 तक एक्शन लेने को कहा है।

तामन सिंह सानेवानी व एसएन राठौर के मामले में कोर्ट ने कहा कि शासन समझता है कि जांच करना है तो 31 दिसम्बर तक जांच की कार्रवाई पूरी करे। तीन आईपीएस के मामाले में शासन की आरे से यह बताए जाने पर कि राजकुमार देवांगन को सजा दी जा चुकी है। लिहाजा कोर्ट ने टिप्पणी नही की है।

एम जूरी के मामले में कोर्ट ने कहा कि कैट ने जो आदेश पारित किया है

उसे लागू किया जाए। मंयक श्रीवास्तव के खिलाफ चल रही विभागीय जांच 31 जुलाई तक पूरी करने के निर्देश दिएहै। आईएफएस एससी के मामले में जांच 31 मार्च तक पूरी कर एक्शन लिया जाए। राकेश चतुर्वेदी, एससी रहटगांवकर, हेमंत पांडेय, एसडी बडगैया के मामले में यूपीएससी में लंबित है। इन मामलों में राज्य शासन को जानकारी लेकर 31 मार्च तक अतिम निर्णय लेने के निर्देश दिए है। वीएस लकड़ा के खिलाफ चल रही जांच को 30 सितम्बर व सीएलअग्रवाल के मामले की जांच 31अगस्त तक पूरी करने को कहा गया है।

वीएस ध्रुव के खिलाफ जांच रिपोर्ट भी इसी तिथि को पूरा करने को कहा है। सीएस तिवारी के खिलाफ भी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने की जानकारी देने पर 31 मार्च तक एक्षन लने का निर्देश जारी किया गया है। आरके तिवारी की जांच 31 दिसम्बर तक व एम गोविंद राव की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर 31 मार्च तक एक्षन लेने का निर्देश दिया गया है।एसपी रजक की जांच 30

कार्यालय नगर पालिक निगम, अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)

क्रमांक/ 4039/न.पा.नि. / लो.नि.वि. / 16-17 अंबिकापुर, दिनांक 23.01.2017

ई-प्रोक्यूरमेंट निविदा सूचना

निकाय के लोक निर्माण शाखा द्वारा सेनेटरी पार्क में उद्यान विकास एवं पब्लिक कोर्ट यार्ड निर्माण कार्य हेतु ऑनलाईन (Online) निविदा आमंत्रित की जाती है जिसका विवरण निम्नानुसार है-

सिस्टम टेण्डर नम्बर	अनुमानित लागत (रु. लाख में)	अमानत राशि	निविदा डाउनलोड करने की अंतिम तिथि	दस्तावेज प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि
1	2	3	4	5
14271	31.69	23800.00	21.02.17	24.02.17
14272	30.96	23000.00	21.02.17	24.02.17
14273	11.65	9000.00	21.02.17	24.02.17

उपरोक्त कार्य की निविदा की सामान्य शर्तें, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी छत्तीसगढ़ शासन के ई- प्रोक्यूरमेंट पोर्टल https:/eproc.cgstate.gov.in में देखा एवं डाउनलोड किया जा सकता है। अमानत राशि (टीडीआर/एफडीआर) तथा दस्तावेज दिनांक 24.02.2017 तक आयुक्त, नगर पालिक निगम, अम्बिकापुर में पंजीकृत डाक से प्रेषित करें।

आयुक्त
नगर पालिक निगम, अम्बिकापुर

कार्यालय नगर पालिका परिषद, बलौदाबाजार
जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)
Tel.No.07727-223138 E-mail: cmobaiodabazar@rediffmail.com & cmobalodabazar@ymail.com

क्रमांक/ 1369/लो.नि.वि./न.पा./2017 बलौदाबाजार, दिनांक 23.01.17

मैनुअल पद्धति द्वितीय निविदा आमंत्रण सूचना

एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित निर्माण कार्य मैनुअल निविदा आमंत्रित की जाती है :-

क्र.	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (रुपए लाख में)	निविदा प्रपत्र हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि
1	2	3	4	5
2	नवनिर्मित स्टेडियम के पास टेनिस कोर्ट निर्माण सबबेस तैयार करने बाबत	4.367	31.01.2017	08.02.2017

उपरोक्त निर्माण कार्यों की निविदा की सामान्य शर्तें, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी कार्यालयीन अवधि में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। साथ ही यह जानकारी विभागीय वेबसाइट http://www.uad.cg.gov.in/ से डाउनलोग की जा सकती है।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद बलौदाबाजार

गणतंत्र दिवस की नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं

देवेन्द्र यादव महापौर — **नरेंद्र कुमार दुग्गा** आयुक्त — **पी श्याम सुन्दर राव** सभापति

महापौर परिषद, पार्षदगण समस्त एल्डरमेन, सांसद प्रतिनिधि
विधायक प्रतिनिधि एवं समस्त अधिकारी-कर्मचारीगण

नगर पालिक निगम भिलाई छ.ग.

निविदा सूचना

क्रमांक/ लो.क.वि. / जोन-1/ 2017 / 1286/375 भिलाई, दिनांक 12.1.17

एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित निर्माण कार्य हेतु आनलाईन (Online) निविदा आमंत्रित की जाती है :-

क्र.	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (रुपये लाख में)	डाउनलोड करने की अंतिम तिथि	निविदा जमा करने की अंतिम तिथि
1	वार्ड-3 रेश्ने बाम्बे आवास पंप हाउस के पीछे सार्वजनिक मंच एवं भवन निर्माण कार्य। (द्वितीय बार)	7.99	31.01.2017	07.02.2017
2	बाम्बे आवास नेहरु नगर के पास मंगल भवन निर्माण कार्य।	5.00	31.01.2017	07.02.2017
3	महिला सामुदायिक भवन के पास आर.सी.सी. नाली एवं सीमेंटी करण कार्य।	4.00	31.01.2017	07.02.2017
4	वार्ड-69 नये गार्डन के सामने नाली एवं सीमेंटीकरण कार्य।	4.00	31.01.2017	07.02.2017

उपरोक्त निर्माण कार्यों की निविदा की सामान्य शर्तें, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी http://cgeprocurement.gove.in अथवा विभागीय वेबसाइट w.w.w.bhilainaganigam.com से डाउनलोड की जा सकती है।

घर से निकलने वाले गीले एवं सुखा कचरे को अलग कर सफाई मित्र (रिक्शा) को देवें।

कार्यपालन अभियंता
जोन-01

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

तृतीय निविदा आमंत्रण सूचना वर्ष 2016-17

नया रायपुर, दिनांक 23.01.2017

क्रमांक एफ 11.02/2015/1-11/ लाय:: छत्तीसगढ़ मंत्रालय, ग्रंथालय के लिए वर्ष 2016-17 में पुस्तक विक्रेताओं / प्रकाशकों से हिन्दी एवं अंग्रेजी में संदर्भ ग्रंथ, शब्दकोष, विश्वकोष, राज्य/केंद्रीय शासन के नियमों / अधिनियमों, इन्साईक्लोपीडिया, ईयरबुक, छत्तीसगढ़ साहित्य, आध्यात्मिक साहित्य, कम्प्यूटर की पुस्तकें, ग्रंथालय वर्गीकरण, प्रबंधन, ज्ञानवर्धक एवं रूचिपूर्ण साहित्य की पुस्तकें (अनुमानित राशि रुपए 05.25 लाख) क्रय किए जाने हेतु मोहरबंद / चपड़ी / लाख अथवा सेलो टेप से बंद किये गये लिफाफे में निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र एवं शर्तें, सादे कागज पर आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रुपए 100.00 (रुपए सौ मात्र) सामान्य प्रशासन विभाग (लेखा शाखा), मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर (छ.ग.) में नगद भुगतान कर अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय कक्ष क्रमां-AA2-3 से कार्यालयीन दिवस में प्राप्त किये जा सकते है। दूरभाष क्रमांक 0771-2510914 से भी जानकारी प्राप्त कर सकते है।

निविदा बिक्री की अंतिम तिथि	दिनांक 31.01.2017	प्रात: 11.00 से दोपहर 01.00 बजे तक (कक्ष क्र.-AA2-3)
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	दिनांक 31.01.2017	दोपहर 03.00 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि	दिनांक 31.01.2017	सायं 04.00 बजे (कक्ष क्रमांक-AA2-3 द्वितीय तल)

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग (अधी.)

जी-37607/1

कॉलरी में नौकरी मिलने की अफवाह, तीन दिनों में 22 हजार बेरोजगारों ने जमा किए आवेदन फॉर्म

छत्तीसगढ़ संवाददाता

मनेन्द्रगढ़, 25 जनवरी(छत्तीसगढ़) ।कॉलरी में नौकरी मिलने की अफवाह पर पिछले तीन-चार दिनों से न केवल छत्तीसगढ़ के कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर और सरगुजा जिले के बेरोजगार, बल्कि पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश के बिजुरी, कोतमा और अनूपपुर जिले के सैकड़ों बेरोजगारों की फौज रोजाना आवेदन फॉर्म जमा करने के लिए उमड़ रही है।

झगराखण्ड थानान्तर्गत हसदो दफाई नई लेदरी में बेरोजगारों का रेला सुबह से लेकर शाम तक रोज देखा जा सकता है। बेरोजगारों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए महज एक-दो रूपए के आवेदन फॉर्म भी मनमाने दामों पर बिक्री किए जा रहे हैं। इधर जिनके द्वारा यह फॉर्म भराया जा रहा है, वह कॉलरी का एक यूनियन कोयला उद्योग कामगार संगठन बताया गया है। इस संगठन के अध्यक्ष मोहन लाल बरगाही का कहना है कि संघ का सदस्यता फॉर्म भराया जा रहा है। इससे नौकरी का कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने बताया कि अभी तक लगभग 22 हजार फॉर्म जमा हो चुके हैं। बुधवार को कॉलरी में नौकरी के लिए अपने आवेदन फॉर्म जमा करने पहुंचे शशिभूषण सिंह, पंकज डाकुआ चिरमिरी, यार मोहम्मद सरभोका, मनीष कुमार यादव कंचनपुर, पूरन चंद विश्रामपुर, कृष्ण कुमार व शिवभजन सुन्दरपुर एवं संतोष प्रताप सिंह सुमेरपुर सूरजपुर आदि ने बताया कि गांव में उन्हें पता चला कि एसईसीएल में नौकरी मिलेगी। सभी को नौकरी के लिए आवेदन फॉर्म भरते देखकर वे भी फॉर्म जमा करने के लिए आए हैं।

हसदेव दफाई नई लेदरी में ऐसे कई बेरोजगार जिनमें कॉलरी में ठेका श्रमिकों की संख्या ज्यादा है रोजाना नौकरी के लिए फॉर्म जमा कर रहे हैं। आलम यह है कि दूर-दराज क्षेत्रों से लोग गाड़ी बुक कर सुबह से ही आवेदन फॉर्म जमा करने के लिए पहुंच जाते हैं जहां बकायदा एक पेड़ के नीचे चौपाल लगाकर उनके फॉर्म जमा किए जा रहे हैं, जबकि यह महज एक अफवाह है।

एसईसीएल हसदेव क्षेत्र के मुख्य महाप्रबंधक बबन सिंह ने कहा कि इस मामले की उन्हें कोई जानकारी नहीं है। कम्पनी के बाहर कोई क्या करता है, इससे उन्हें कोई लेना-देना नहीं है। यह पुलिस का मैटर है कि वह इसकी पड़ताल करे। वहीं झगराखण्ड थाना प्रभारी एके नाग का कहना है कि उन्हें भी इस अफवाह की खबर मिली थी कि कॉलरी में नौकरी के लिए आवेदन फॉर्म भराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपने स्तर पर जांच-पड़ताल करने पर पता चला कि कोयला उद्योग कामगार संगठन का सदस्यता फॉर्म भरवाया जा रहा है। थाना प्रभारी ने बेरोजगारों से इस अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की है।

अचानकमार टाइगर रिजर्व कोर से वाहनों को कुछ शर्तों पर छूट

छत्तीसगढ़ संवाददाता

बिलासपुर, 25 जनवरी। अचानकमार टाइगर रिजर्व कोर क्षेत्र के मध्य से होकर अमरकंटक, शहडोल तथा अन्य जगह जाने वाले भारी एवं मध्यम वाहनों को ही प्रतिबंधित किया गया है।

अचानकमार क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए चेकपोस्ट पर उनके वाहनों के आने-जाने के लिए स्थायी पास जारी किये जायेंगे। भारी तथा मध्यम वाहन अब कोटा-रतनपुर-केंवची आरएमकेके मार्ग होकर गन्तव्य स्थान के लिए जायेंगे।

अचानकमार टाईगर रिजर्व कोर क्षेत्र के मध्य से गुजरने वाले कोटा-केंवची मार्ग पर वाहनों के प्रतिबंध के संबंध में विगत् दिवस अचानकमार टाईगर रिजर्व की स्थानीय सलाहकार समिति की बैठक में निर्णय लिया गया। इसके तहत् कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बिलासपुर द्वारा उक्त मार्ग पर 19 जनवरी से भारी एवं हल्के वाहनों के प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किया गया है।

इस संबंध में स्पष्ट किया गया है कि अचानकमार टाईगर रिजर्व क्षेत्र में रहने वाले गांव के स्थानीय निवासियों के दो पहिया एवं मध्यम चार पहिया वाहनों, बसें, जिन्हें क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी बिलासपुर द्वारा पूर्व में लायसेंस जारी किये गये हैं, ऐसे वाहनों पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। इसके साथ ही नागरिकों की स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु एम्बुलेंस के लाने ले जाने पर भी प्रतिबंध नहीं होगा।

डीजे संचालक 26 तक हड़ताल में

छत्तीसगढ़ संवाददाता

बिलासपुर, 25 जनवरी। डीजे संचालकों ने 24 से 26 जनवरी तक किसी को साउंड सिस्टम नही देने की बात कहते हुए हड़ताल कर दिया है जिससे स्कूल की छात्र-छात्राएं गणतंत्र दिवस समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति के लिए बिना संगीत के अभ्यास कर रही हैं।

पर्व में डीजे पर बैन लगा देने से शहर के डीजे संचालक विरोधकर रहे हैं और 24 से 26 तक हड़ताल की घोषणा कर दिए हैं जिससेगणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी के लिए किसी भी स्कूल और प्रशासन को साउंड सिस्टम नही देने का बात कहे है ।

कलेक्टर अनबलगन पी ने कहा कि अभी तक साउंड सिस्टम संचालकों के हड़ताल की जानकारी नही है लेकिन राष्ट्रीय त्यौहार गणतंत्र दिवस समारोह के लिए साउंड सिस्टम की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही मामले में संचालकों से चर्चा भी कर उनकी समस्या का निराकरण किया जाएगा। वहीं डीजे नही मिलने से कई स्कूल कीप्राध्यापिकाएं भी परेशान है

क्योंकि वे छात्राओं को सांस्कृतिक कार्यक्रम का अभ्यास नही करा पा रहे हैं।

26 को राहगिरी डे

रायगढ़ 25 जनवरी। राहगिरी डे कार्यक्रम का आयोजन 26 जनवरी को किया गया है। जिसके लिये लायंस क्लब मिड टाउन की अध्यक्षा कविता बेरीवाल, लायंस क्लब मिड टाउन अध्यक्ष अनूप बंसल, लियो क्लब अध्यक्ष अधीश रतेरिया की पहल पर रायगढ़ शहर के 20 से अधिक समाजसेवी संगठनों तथा अन्य क्लब के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक कर चर्चा की गई। साथ ही साथ राहगिरी डे में होने वाले कार्यक्रमों की लिस्ट बनाई गई। जिसमें 40 से अधिक ऐसे आयोजन रखे गए है जिनमें शहर के बच्चे से लेकर युवा भाग ले सकेंगे।

साथ ही साथ युवतियों तथा महिलाओं की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी भी जुटाने का प्रयास किया जा रहा है।

टीआई से दुर्व्यवहार का मामला दर्ज

छत्तीसगढ़ संवाददाता

बिलासपुर, 25 जनवरी। श्रीकांत वर्मा मांग पर आज सुबह वाहन चेकिंग के दौरान एक युवक की गाडी यातायात टीआई ने रुकवाई तो युवक यातायात के जवान से ही दुर्व्यवहार करने लगा। इस पर टीआई ने तारबाहर पुलिस को फोन कर बुलाया और थाने में सरकरी काम में बाधा डालने की शिकायत दर्ज कराई है।

मुंगेली जिले का जूता व्यवसायी प्रकाश संतवानी किसी काम से बिलासपुर आया था। जब वह श्रीकांत वर्मा मांग के पास पहुंचा तो वहां यातायात निरीक्षक डीएस नेताम आरक्षक संजय रात्रे के साथ वाहन चेकिंग कर रहे थे। दोनों ने प्रकाश संतवानी को रुकवा कर मोटर सायकल के दस्तावेज की मांग की तो प्रकाश भड़क गया और निरीक्षक से दुर्व्यवहार किया।

इस पर निरीक्षक ने तारबाहर थाना प्रभारी बीके निषाद को फोन कर आरक्षकों की मांग की। तारबाहर की पेट्रोलिंग पार्टी ने मौके पर जाकर प्रकाश को गिरफ्तार कर थाने ले आयी और उस पर सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप दर्ज कर कार्रवाई करने की बात कह रही है।

दुकानदार कर रहे पेटीएम का इस्तेमाल

पत्थलगांव, 25 जनवरी। नोटबंदी के चलते छुट्टे पैसों के लिए लोगों की परेशानी को देखते हुए शहर के कई दुकानदारों ने इसका हल निकाल लिया है। अब वे पेटीएम के जरिए अपने सामान की बिक्री कर रहे हैं।

पान व्यवसायी संजय पटनायक ने बताया उनके दुकान में पान के शौकिन हर रोज आते हैं। खुल्ले पैसे नहीं होने के कारण शुरुआत में काफी परेशानी हुई।

रोज-रोज की इस परेशानी से बचने के लिए दुकान में पेटीएम का इस्तेमाल करना चालू कर दिया। इससे उनके ग्राहकों को जेब में बड़े नोट रखने अथवा सिक्के लेकर चलने की जरूरत नहीं रही।

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई, जिला-दुर्ग
मामला क्रमांक / / अ/6 सन् 2016-17

उद्घोषणा-पत्र

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्रीमती सुनिता देवी पति मुन्ना प्रसाद सिंह साकिन कृष्णा नगर सुपेला भिलाई तह. व जिला दुर्ग के द्वारा अपने भूमि स्वामी हक की क्रयशुदा भूमि ग्राम कुरूद प.ह.नं. 14/19 रा.नि.म. दुर्ग-1 तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 777/2 का टु. रकबा 0.010 हे. हेक्टेयर भूमि को पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर विक्रेता सुभाष जायसवाल आ. रामाधार जायसवाल निवासी जवाहर नगर सुपेला भिलाई के नाम से पृथक कर आवेदक का नाम पटवारी अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन पेश किया है। जिसका प्रकरण विचाराधीन है।

अत: जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था इस संबंध में आपत्ति दावा या ऊजर पेश करना हो तो पेशी दिनांक 4.02.17 तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या ऊजर प्रस्तुत कर सकते हैं। बाद में आपत्ति आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 17.01.17 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पदमुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया गया।

मुहर **अतिरिक्त तहसीलदार भिलाईनगर, जिला-दुर्ग**

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई, जिला-दुर्ग
मामला क्रमांक / / अ/6 सन् 2016-17

उद्घोषणा-पत्र

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक नवीन कुमार पाण्डेय आ. बिसुन्दर पाण्डेय साकिन मैत्री विहार सुपेला भिलाई तह. व जिला दुर्ग के द्वारा अपने भूमि स्वामी हक की क्रयशुदा भूमि ग्राम कुरूद प.ह.नं. 14/19 रा.नि.म. दुर्ग-1 तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 777/2 का टु. रकबा 0.014 हे. 1500 वर्गफीट हेक्टेयर भूमि को पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर विक्रेता सुभाष जायसवाल आ. रामाधार जायसवाल निवासी जवाहर नगर सुपेला भिलाई के नाम से पृथक कर आवेदक का नाम पटवारी अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन पेश किया है। जिसका प्रकरण विचाराधीन है।

अत: जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था इस संबंध में आपत्ति दावा या ऊजर पेश करना हो तो पेशी दिनांक 4.02.17 तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या ऊजर प्रस्तुत कर सकते हैं। बाद में आपत्ति आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 17.01.17 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पदमुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया गया।

मुहर **अतिरिक्त तहसीलदार भिलाईनगर, जिला-दुर्ग**

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई, जिला-दुर्ग
मामला क्रमांक / / अ/6 सन् 2016-17

उद्घोषणा-पत्र

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक बृजेश प्रसाद आ. स्व. नारायण प्रसाद साकिन सड़क-12 सेक्टर-2 भिलाई तह. व जिला दुर्ग के द्वारा अपने भूमि स्वामी हक की क्रयशुदा भूमि ग्राम कुरूद प.ह.नं. 14/19 रा.नि.म. दुर्ग-1 तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 258/11 का टु. रकबा 0.014 हे. 1540 वर्गफीट हेक्टेयर भूमि को पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर विक्रेता टीकम सिंह सेंगर आ. लक्ष्मण सिंहसेंगर निवासी सरस्वती स्कूल के पास कुरूद भिलाई के नाम से पृथक कर आवेदक का नाम पटवारी अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन पेश किया है। जिसका प्रकरण विचाराधीन है।

अत: जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था इस संबंध में आपत्ति दावा या ऊजर पेश करना हो तो पेशी दिनांक 4.02.17 तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या ऊजर प्रस्तुत कर सकते हैं। बाद में आपत्ति आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 17.01.17 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पदमुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया गया।

मुहर **अतिरिक्त तहसीलदार भिलाईनगर, जिला-दुर्ग**

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई, जिला-दुर्ग
मामला क्रमांक / / अ/6 सन् 2016-17

उद्घोषणा-पत्र

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्रीमती खूशबू देवी पति रिंकू कुमार गुप्ता साकिन कृष्णा नगर सुपेला भिलाई तह. व जिला दुर्ग के द्वारा अपने भूमि स्वामी हक की क्रयशुदा भूमि ग्राम कुरूद प.ह.नं. 14/19 रा.नि.म. दुर्ग-1 तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 258/11 का टु. रकबा 0.011 हे. 1160 वर्गफीट हेक्टेयर भूमि को पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर विक्रेता टीकम सिंह सेंगर आ. लक्ष्मण सिंहसेंगर निवासी सरस्वती स्कूल के पास कुरूद भिलाई के नाम से पृथक कर आवेदक का नाम पटवारी अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन पेश किया है। जिसका प्रकरण विचाराधीन है।

अत: जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था इस संबंध में आपत्ति दावा या ऊजर पेश करना हो तो पेशी दिनांक 4.02.17 तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या ऊजर प्रस्तुत कर सकते हैं। बाद में आपत्ति आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 17.01.17 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पदमुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया गया।

मुहर **अतिरिक्त तहसीलदार भिलाईनगर, जिला-दुर्ग**

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई, जिला-दुर्ग
मामला क्रमांक / / अ/6 सन् 2015-2016

उद्घोषणा-पत्र

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्रीमती गायत्री ठाकरे ध.प. बेनीराय ठाकरे साकिन रूआबांधा सेक्टर, भिलाई नगर तह. व जिला दुर्ग के द्वारा अपने भूमि स्वामी हक की क्रयशुदा भूमि ग्राम कुरूद प.ह.नं. 14/19 रा.नि.म. दुर्ग-1 तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 1080/6 का टु. रकबा 1000 वर्गफीट =92.94 वर्गमीटर =0.010 हे. हेक्टेयर भूमि को पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर विक्रेता राधेकिशन आ. खोरबाहरा निवासी पुरानी बस्ती, कुरूद, भिलाई के नाम से पृथक कर आवेदक का नाम पटवारी अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन पेश किया है। जिसका प्रकरण विचाराधीन है।

अत: जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था इस संबंध में आपत्ति दावा या ऊजर पेश करना हो तो पेशी दिनांक 04.02.17 तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से